

पत्रांक...४१५ (११)/रा०  
समाहरणालय सिमडेगा।  
(राजस्व शाखा)

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,  
सिमडेगा।

सेवा में,

उप महाप्रबंधक,  
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड,  
संचरण अंचल, राँची।

सिमडेगा, दिनांक...०३-०९-२४

विषय :- झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के०भी० द्विपथ कोलेबिरा-कमडारा संचरण लाईन निर्माण के क्रम में पड़ने वाली गैरमजरूआ भूमि/जंगल-झाड़ी भूमि का FRA एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रेषण।

महाशय,

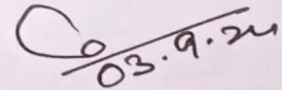
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के०भी० द्विपथ कोलेबिरा-सिमडेगा संचरण लाईन निर्माण के क्रम में पड़ने वाली गैरमजरूआ भूमि/जंगल-झाड़ी भूमि का विहित प्रपत्र में निर्गत FRA एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

|                      |                                    |                                                |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| FRA (FORM-I)         | No. 53(i), Dated- 02.09.2024       | अघरमा कोलेबिरा                                 |
|                      | No. 54(i), Dated- 02.09.2024       | जुराकेल कोलेबिरा                               |
|                      | No. 55(i), Dated- 02.09.2024       | लरबा कोलेबिरा                                  |
|                      | No. 56(i), Dated- 02.09.2024       | कोलेबिरा                                       |
|                      | No. 57(i), Dated- 02.09.2024       | भंवरपहाड़ कोलेबिरा                             |
|                      | No. 58(i), Dated- 02.09.2024       | नवाटोली कोलेबिरा                               |
| अनापत्ति प्रमाण-पत्र | संख्या- 52(ii), दिनांक- 02.09.2024 | नवाटोली, भंवरपहार, कोलेबिरा, लरबा एवं जुराकेल। |

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
03.9.24

अपर समाहर्ता  
सिमडेगा।

# समाहरणालय सिमडेगा

(राजस्व शाखा)

अनापतिप्रमाण-पत्र

खंड - 52 U/RW  
दिनांक - 02.09.2024

राजस्व एवं भूमि सुधार, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 1817/रा0 दिनांक-30.04.2015 के आलोक में झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 को भी0 द्विपथ कोलेबिरा-कामडारा संचरण लाईन के निर्माण के क्रम में पड़नेवाली गरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ जंगल इत्यादि) जो निर्मांकित प्लॉटों में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथासंरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन भूमि (Deemed Forest) भूमि से बाहर है:-

| अंचल     | मौजा       | थाना नं0 | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकबा (हे0 में)  |                 | किस्म      | अभ्युक्ति |
|----------|------------|----------|----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
|          |            |          |          |           | Area Hect. (PF) | Area Hect. (JJ) |            |           |
| कोलेबिरा | नवाटोली    | 114      | 129      | 586       |                 | 0.286100        | जंगल झाड़ी |           |
|          | भैंवरपाहार | 121      | 168      | 1819      |                 | 0.480058        | जंगल झाड़ी |           |
|          |            |          |          | 1007      |                 | 0.07000         | जंगल झाड़ी |           |
|          |            |          |          | 986       |                 | 0.127000        | जंगल झाड़ी |           |
|          |            |          |          | 665       |                 | 0.574000        | जंगल झाड़ी |           |
|          | कोलेबिरा   | 113      | 187      | 658       |                 | 0.207000        | जंगल झाड़ी |           |
|          |            |          |          | 642       |                 | 0.162000        | जंगल झाड़ी |           |
|          |            |          |          | 591       |                 | 0.753932        | जंगल झाड़ी |           |
|          |            |          |          | 1273      |                 | 0.170571        | जंगल झाड़ी |           |
|          | लरबा       | 123      | 107      | 1512      |                 | 0.123467        | जंगल झाड़ी |           |
|          | जुरकेला    | 131      | 100      | 1513      |                 | 0.047890        | जंगल झाड़ी |           |
|          | कुलरकबा    |          | 124      |           |                 | 3.002018        |            |           |

02.09.24  
अपर समाहर्ता,  
सिमडेगा  
24.9.24  
24.9.24

2-9-24  
उपायुक्त  
सिमडेगा

उक्त भूमि के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी हस्तांतरण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

श्री विन्देश्वरी

अमीन

राजस्व उप

निरीक्षक

अंशुलि

निरीक्षक

अंचल अधिकारी

कलेक्टर

भूमि सुधार एवं समाहता

सिमडेगा

अनुमण्डल पदा

सिमडेगा

अपर समाहता

सिमडेगा

उपायुक्त

सिमडेगा

2.9.24

22/8/24

23/8/24